

डाक शुल्क दर का वित्त विधेयक, 2001 के (खण्ड 131 द्वारा) प्रस्तावित संशोधन दर्शाने वाला ज्ञापन

कतिपय डाक सामग्रियों के लिए लगाई जाने वाली शुल्क दरों की अधिकतम सीमा भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की प्रथम अनुसूची में विहित की गई है। इस अनुसूची और अन्य सेवाओं में शामिल नहीं की गई ऐसी सामग्री और अन्य डाक सामग्री के संबंध में विहित उक्त अधिकतम सीमा के भीतर, केन्द्रीय सरकार को (भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 7 द्वारा) भारतीय डाकघर नियम, 1933 में संशोधन करते हुए, राजपत्र में, अधिसूचना जारी करके दरों को नियत करने की शक्ति प्राप्त है।

2. नीचे दी गई सारणी में क्रम संख्या 1 से 7 पर सूचीबद्ध डाक सामग्री के संबंध में शुल्क दरों का पुनरीक्षण के प्रस्ताव में भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की प्रथम अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है तथा इन्हें वित्त विधेयक में शामिल कर लिया गया है। ये परिवर्तन तथा अन्य डाक सेवाओं की शुल्क दरों का पुनरीक्षण भारतीय डाकघर नियम, 1933 में संशोधन करते हुए, किए जाएंगे।

| क्र.सं. | मद | विद्यमान टैरिफ | प्रस्तावित टैरिफ |
|---------|---------------------------|--|---|
| 1. | पोस्टकार्ड | पोस्टकार्ड के लिए 25 पैसे | पोस्टकार्ड के लिए 50 पैसे |
| 2. | मुद्रित पोस्टकार्ड | मुद्रित पोस्टकार्ड के लिए 2 रुपए | मुद्रित पोस्टकार्ड के लिए 3 रुपए |
| 3. | प्रतियोगिकता पोस्टकार्ड | प्रतियोगिकता पोस्टकार्ड के लिए 4 रुपए | प्रतियोगिकता पोस्टकार्ड के लिए 5 रुपए |
| 4. | पत्र | बीस ग्राम से अनधिक वजन के लिए 3 रुपए प्रत्येक बीस ग्राम या बीस ग्राम से अधिक उसके भिन्नांश के लिए 3 रुपए | बीस ग्राम से अनधिक वजन के लिए 4 रुपए प्रत्येक बीस ग्राम या बीस ग्राम से अधिक उसके भिन्नांश के लिए 4 रुपए |
| 5. | बुक पैटर्न और नमूने पैकेट | पहले पचास ग्राम या उसके भिन्नांश के लिए 2 रुपए प्रत्येक अतिरिक्त पचास ग्राम या पचास ग्राम से अधिक उसके भिन्नांश के लिए 3 रुपए | पहले पचास ग्राम या उसके भिन्नांश के लिए 3 रुपए प्रत्येक अतिरिक्त पचास ग्राम या पचास ग्राम से अधिक उसके भिन्नांश के लिए 4 रुपए |
| 6. | रजिस्ट्रीकृत समाचार पत्र | रजिस्ट्रीकृत समाचार पत्र की एकल प्रति के मामले में पचास ग्राम से अनधिक वजन के लिए 15 पैसे पचास ग्राम से अधिक किन्तु सौ ग्राम से अनधिक वजन के लिए 25 पैसे प्रत्येक अतिरिक्त सौ ग्राम या सौ ग्राम से अधिक उसके भिन्नांश के लिए 10 पैसे रजिस्ट्रीकृत समाचार पत्र के उसी अंक की एक से अधिक प्रति के मामले में जब उसी पैकेट में वहन किया जाता हो एक सौ ग्राम से अनधिक वजन के लिए 25 पैसे प्रत्येक अतिरिक्त एक सौ ग्राम वजन और एक सौ ग्राम से अधिक उसके भिन्नांश के लिए 10 पैसे <i>परन्तु यह तब जब ऐसा पैकेट किसी प्रेषिती निवासी को परिदत्त नहीं किया जाएगा, अपितु इसे डाकघर में किसी मान्यताप्राप्त अभिकर्ता को दिया जाएगा।</i> | रजिस्ट्रीकृत समाचार पत्र की एकल प्रति के मामले में प्रत्येक पचास ग्राम या उसके भिन्नांश के लिए 25 पैसे पचास ग्राम से अधिक किन्तु सौ ग्राम से अनधिक वजन के लिए 50 पैसे प्रत्येक अतिरिक्त सौ ग्राम या सौ ग्राम से अधिक उसके भिन्नांश के लिए 20 पैसे रजिस्ट्रीकृत समाचार पत्र के उसी अंक की एक से अधिक प्रति के मामले में जब उसी पैकेट में वहन किया जाता हो एक सौ ग्राम से अनधिक वजन के लिए 50 पैसे प्रत्येक अतिरिक्त एक सौ ग्राम या एक सौ ग्राम से अधिक उसके भिन्नांश के लिए 20 पैसे <i>परन्तु यह तब जब ऐसा पैकेट किसी प्रेषिती निवासी को परिदत्त नहीं किया जाएगा, अपितु इसे डाकघर में किसी मान्यताप्राप्त अभिकर्ता को दिया जाएगा।</i> |
| 7. | पार्सल | पांच सौ ग्राम से अनधिक वजन के लिए 12 रुपए प्रत्येक पांच सौ ग्राम या पांच सौ ग्राम से अधिक उसके भिन्नांश के लिए 15 रुपए | पांच सौ ग्राम से अनधिक वजन के लिए 16 रुपए प्रत्येक पांच सौ ग्राम या पांच सौ ग्राम से अधिक उसके भिन्नांश के लिए 15 रुपए |

| क्र. सं. | मद | विद्यमान टैरिफ | | प्रस्तावित टैरिफ | |
|----------|---|---|-----------|---|-----------|
| 8. | रजिस्ट्रीकरण | रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस | 14 रुपए | रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस | 17 रुपए |
| 9. | मूल्य देय पुस्तक पैकेट, जिसमें मुद्रित पुस्तकें अन्तर्विष्ट हैं, जिनका मूल्य 50 रु. से अनधिक है, के रजिस्ट्रीकरण के लिए रियायती फीस | रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस | 1.25 रुपए | रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस | 2.50 रुपए |
| 10. | पुस्तक पैकेट जिनमें मुद्रित पुस्तकें अन्तर्विष्ट हैं। | पहले सौ ग्राम या उसके भिन्नांश के लिए | 50 पैसे | पहले सौ ग्राम या उसके भिन्नांश के लिए | 1 रुपए |
| | | प्रत्येक अतिरिक्त सौ ग्राम या सौ ग्राम से अधिक उसके भिन्नांश के लिए | 50 पैसे | प्रत्येक अतिरिक्त सौ ग्राम या सौ ग्राम से अधिक उसके भिन्नांश के लिए | 1 रुपए |
| 11. | पुस्तक पैकेट जिनमें नियतकालिक पत्रिकाएं अन्तर्विष्ट हैं। | पहले सौ ग्राम या उसके भिन्नांश के लिए | 1 रुपए | पहले सौ ग्राम या उसके भिन्नांश के लिए | 2 रुपए |
| | | प्रत्येक अतिरिक्त सौ ग्राम या सौ ग्राम से अधिक उसके भिन्नांश के लिए | 2 रुपए | प्रत्येक अतिरिक्त सौ ग्राम या सौ ग्राम से अधिक उसके भिन्नांश के लिए | 3 रुपए |
| 12. | परिदान अभिस्वीकृति की फीस | अभिस्वीकृति फीस | 2 रुपए | अभिस्वीकृति फीस | 3 रुपए |